कम्प्यूटर परिपत्र सं०- 2222051A दिनांक 01.02.2022 विभागीय वेबसाइट पर अपलोड होने हे

पत्र संख्या– आई0एम0सी0 / मु0 / 2021–22 / 354 वाणिज्य कर

कार्यालय–कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश
(आई0एम0सी0)

लखनऊ दिनांक 0/ ~~जनवरी~~ फरवरी 2022

1–समस्त एडीशनल कमिश्नर ग्रेड–1,
वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।
2–समस्त एडीशनल कमिश्नर ग्रेड–2,
वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।
3–समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक),
वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।
4–समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्पोरेट सर्किल),
वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

केन्द्रीय एवं राज्य क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत पंजीकृत फर्मो के सम्बन्ध में इन्टेलीजेन्स बेस्ड इन्फोर्समेन्ट की कार्यवाही के प्रकरणों में ऐड्जूडिकेशन आदि की समस्त कार्यवाही किस प्रकार पूर्ण की जायेगी, इस सम्बन्ध में, यद्यपि पूर्व में कम्प्यूटर परिपत्र संख्या–1920074A दिनांक–04.12.2019 निर्गत किया जा चुका है, किन्तु ऐसा प्रतीत हो रहा है कि फील्ड में अभी भी भ्रम की स्थिति बनी हुई है।

वस्तु एवं सेवाकर आसूचना महानिदेशालय, लखनऊ आंचलिक इकाई, विजय खण्ड गोमतीनगर, लखनऊ कार्यालय के पत्र संख्या–DGGI/LZU/Gr.B/Inv/344/2018/Pt-I/1872 दिनांक–10.12.2021 के द्वारा यह सूचित किया गया है कि केन्द्रीय वस्तु एंव सेवा कर तथा राज्य वस्तु एवं सेवा कर के अधिकारियों के मध्य क्रास इम्पावरमेन्ट के प्रकरणों में समन्वय का अभाव दिख रहा है। पत्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि केन्द्रीय वस्तु एवं सेवा कर के अधिकारियों के द्वारा दिनांक–30.10.2018 को सर्वश्री श्री सिद्वि विनायक ट्रेडिंग कम्पनी की जांच की गयी थी और जांच अभी प्रक्रियाधीन है, इसी दौरान खण्ड–4 बरेली के डिप्टी कमिश्नर द्वारा केन्द्रीय वस्तु एवं सेवा कर द्वारा की गयी जांच का आधार देकर धारा–74 के अन्तर्गत नोटिस जारी किया गया और व्यापारी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष इसी आधार पर जारी नोटिस के विरूद्ध रिट पिटीशन दाखिल किया गया। उक्त के अतिरिक्त उपरोक्त पत्र में कुछ अन्य प्रकरणों का भी उल्लेख किया गया है। उक्त भ्रान्तियों के निवारणार्थ निर्देश पुनः प्रसरित किये जा रहे हैं:–

दिनांक–16.01.2017 को आयोजित जी0एस0टी0 काउन्सिल की 9वीं बैठक के कार्यवृत्त एजेन्डा बिन्दु संख्या–3 (28) (viii) द्वारा अधोलिखित प्रकार निर्णय लिया गया है:–

"Both the Central and the State tax administration shall have the power to take intelligence-based enforcement action in respect of the entire value chain."

जी0एस0टी0 काउन्सिल के उक्त निर्णय के आधार पर केन्द्रीय उत्पाद व सीमा शुल्क बोर्ड, वित्त मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली के अर्द्धशासकीय पत्र संख्या–CBEC/20/43/01/2017-GST(Pt.) दिनांक–05.10.2018 के बिन्दु संख्या– 03 व 06 के अन्तर्गत निम्न प्रकार उल्लेख किया गया है:–

.....2/...

(3) It is accordingly clarified that the officers of both Central tax and State tax are authorized to initiate intelligence based enforcement action on the entire taxpayer's base irrespective of the administrative assignment of the taxpayer to any authority. The authority which initiates such action is empowered to complete the entire process of investigation, issuance of SCN, adjudication, recovery, filing of appeal etc. arising out of such action.

(6) It is also informed that GSTN is already making changes in the IT system in this regard.

उपर्युक्त निर्णय के परिप्रेक्ष्य में यह अपेक्षित है कि वाणिज्य कर विभाग के अधिकारियों द्वारा केन्द्रीय प्राधिकार की जिन फर्मों के विरुद्व इन्टेलीजेन्स बेस्ड इन्फोर्समेन्ट ऐक्सन प्रारम्भ किया गया है, तब बिन्दु संख्या–3 के अनुसार **उस ऐक्सन के आधार** पर आगे की कार्यवाही वाणिज्य कर विभाग के अधिकारियों द्वारा पूर्ण की जायेगी। इसी प्रकार राज्य क्षेत्राधिकार की जिन फर्मों के विरुद्व इन्टेलीजेन्स बेस्ड इन्फोर्समेन्ट ऐक्सन केन्द्रीय प्राधिकार के अधिकारियों द्वारा प्रारम्भ किया जायेगा, तब **उस ऐक्सन के आधार** पर आगे की कार्यवाही केन्द्रीय प्राधिकार के अधिकारियों द्वारा पूर्ण की जायेगी।

यू0पी0 जी0एस0टी0 ऐक्ट–2017 की धारा–6(2)(b) के अन्तर्गत दी गयी निम्न व्यवस्था का उल्लेख किया जा रहा है:–

It has been enumerated that where the proper officer under the Central Goods and Services Tax Act, 2017 has initiated any proceedings on a subject matter, no proceedings shall be initiated by the proper officer under this Action the same subject matter.

इस प्रकार इन्टेलीजेन्स बेस्ड इन्फोर्समेन्ट ऐक्सन से उद्भूत हुआ कोई प्रकरण अपनी तार्किक परिणति तक किस प्राधिकारी द्वारा किस प्रकार पहुँचाया जायेगा– यह स्वतः स्पष्ट किया गया है।

उपर्युक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

1/2/2022

(मिनिस्ती एस0)
कमिश्नर, वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

पृ0प0सं0– /तद् दिनांक उक्त ।

प्रतिलिपि–अपर महानिदेशक, वस्तु एवं सेवा कर आसूचना महानिदेशालय, लखनऊ आंचलिक इकाई, विजय खण्ड गोमतीनगर, लखनऊ कार्यालय को उनके पत्र संख्या–DGGI/LZU/Gr.B/ Inv/ 344/ 2018 / Pt-I / 1872 दिनांक 10.12.2021 के सन्दर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

कमिश्नर, वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।